22/2/24

पत्रावली पेश। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षगण की बहस सुनी गई। निर्णय अलग से लिखकर जारी किया व खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

# न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

...रण संख्याः 100/2022

**वादीगण**

1. हीराराम पुत्र नगाराम
2. हरीराम पुत्र नगाराम
3. कनकोदेवी पत्नी नगाराम

   जाति कलबी, निवासी हाजाणियों की ढाणी, भाखरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. कृष्णराम पुत्र जेठाराम
2. हकमाराम पुत्र जेठाराम
3. दलाराम पुत्र जेठाराम
4. थानाराम पुत्र जेठाराम
5. निम्बाराम पुत्र हकमाराम
6. राणाराम पुत्र कृष्णराम

   जाति मेघवाल निवासी सोढों की ढाणी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार, गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

**उपस्थित :–**

1. **श्री हरीराम विश्नोई अधिवक्ता वादीगण**
2. **श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

**–:: निर्णय ::–**

दिनांक :– 22/02/24

वादीगण द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के खतेदारी अधिकारों एवं विधि सम्मत कब्जा काश्त का खेत मौजा हाजाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 468 रकबा 1.3840 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बहुत ही बदमाश एवं झगडालू प्रवृति के तथा धनिक व बलशाली व्यक्ति हैं तथा राजनैतिक रूप से प्रभावशाली भूमाफिया प्रवृति के व्यक्ति हैं। प्रतिवादीगण अपने राजनैतिक प्रभाव एवं धनबल तथा भूमाफिया गैंग के सहयोग के आधार पर वादीगण के उक्त खातेदारी भूमि के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की भूमि के सेढे माठ को तोडकर अवैध रूप से जबरन कब्जा करलिया है जो जमीन न तो प्रतिवादीगण के खातेदारी की है और न ही किसी प्रकार के हक की है मात्र प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने अपने राजनैतिक प्रभाव तथा धनवल के आधार पर वादीगण के शांतिप्रिय होने व उनके गरीबी का फायदा उठाकर वादीगण की जमीन को हडपने की नीयत से जबरन कब्जा कर लिया है। कब्जा हटाने में आना कानी कर रहे हैं जिस पर वादीगण ने मौजीज लोगों से समझाईश का प्रयास भी किया परन्तु अवैध कब्जा नहीं

सहायक कलेक्टर गुडामालानी

हटा रहे हैं, पुलिस थाना गुड़ामालानी में दिनांक 21.06.2022 को रिपोर्ट भी पेष की गई प्रतिवादीगण को पाबन्द भी करवाया गया परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 कब्जा नहीं हटाकर कब्जे को पुख्ताकर निर्माण करने पर आमादा है इसलिये वादीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 468 रकबा 1.3840 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा जबरन व अवैधानिक तौर पर किये गये कब्जा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने का वाद न्यायालय में लाना आवश्यक होने से यह वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी वादीगण के वाद पत्र का जबाव पेश नहीं किये जाने पर प्रतिवादीगण का जबाव का अवसर बन्द किया गया।

वकील वादीगण द्वारा वादीगण के वाद पत्र को सावित करने के लिये वादी की मौखिक साक्ष्य में गवाह PW-1 हीराराम, PW-2 भूपाराम, PW-3 गीगाराम को न्यायालय में उपस्थित कर मय साक्षी शपथ–पत्र बयान कलमबद्ध करवाए गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में विवादित आराजी की जमाबन्दी खसरा नम्बर 462, 468, 472 मौजा हाजाणियों की ढाणी संवत् 2077–2078, पुलिस कार्यवाही की प्रतियां, तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 27.06.2022 आदि पेश की गई तथा प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। समस्त का अवलोकन अध्ययन करने के उपरान्त न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा वादीगण की खातेदारी व कब्जा शुद भूमि मौजा हाजाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 468 रकबा 1.3840 हैक्टेयर की भूमि की माठ को तोड़कर अनाधिकृत रूप से कब्जाा किया है, जिसे हटाकर कब्जा प्राप्ति का वादीगण अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा दिनांक 27.06.2022 द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी भाखरपुरा से तैयार करवाई गई रिपोर्ट प्रमाणित प्रति दिनांक 28.06.2022 के

सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा हाजाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 468 रकबा 1.3840 हैक्टेयर की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये ~~ग्रये~~ अनाधिकृत कब्जा को हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं, आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गुडामालानी को अधिकृत किया जाता है, मौके की जांच कर नियमानुसार कब्जा हटाने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में पेश करावें। इसी प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णिय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/2/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( रामजी भाई कलबी )
सहायक कलक्टर, (S.D.O) गुडामालानी
सहायक कलेक्टर गुडामालानी

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)
( Civil Procedure Code Appendix 'D'-1 )
अज अदालत सहायक कलक्टर ( S.D.O. ) गुडामालानी
व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 100 / 2022

**वादीगण**

1. हीराराम पुत्र नगाराम
2. हरीराम पुत्र नगाराम
3. कनकोदेवी पत्नी नगाराम
   जाति कलबी, निवासी हाजाणियों की ढाणी, भाखरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. कृष्णराम पुत्र जेठाराम
2. हकमाराम पुत्र जेठाराम
3. दलाराम पुत्र जेठाराम
4. थानाराम पुत्र जेठाराम
5. निम्बाराम पुत्र हकमाराम
6. राणाराम पुत्र कृष्णराम
   जाति मेघवाल निवासी सोढों की ढाणी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार, गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 22/2/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरीराम विश्नोई अधिवक्ता वादी व हाजरी श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा दिनांक 27.06.2022 द्वारार भू–अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी भाखरपुरा से तैयार करवाई गई रिपोर्ट प्रमाणित प्रति दिनांक 28.06.2022 के अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा हाजाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 468 रकबा 1.3840 हैक्टेयर की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये ~~प्रये~~ अनाधिकृत कब्जा को हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं, आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गुडामालानी को अधिकृत किया जाता है, मौके की जांच कर नियमानुसार कब्जा हटाने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में पेश करावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/2/24 को जारी की गई।

मुहर

( रामजी भाई कलबी )
सहायक कलक्टर, (S.D.O) गुडामालानी
दिनांक :

क्रमांक : 159 22/2/24
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ।

( रामजी भाई कलबी )
सहायक कलक्टर, (S.D.O) गुड़ामालानी